तारीख जो इस तामील हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दौसा प्रकरण दौसा/सि.ट प्र० क्र० 104/2017 —	

8/1/17 पत्रावली क्रम 5वां। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के वकील अपीलीय प्रस्तुत का बहस करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 27-6-17 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा पर दोनों विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलीय द्वारा अवगत कराया कि इस प्रकरण से संबंधित निगरानी राजस्व मण्डल में चलना बताया परन्तु इस बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः कागजात बहस एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 27-6-17 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश आरजी संख्या 580, व 581 को निरस्त किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कार्ड शर्ति जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। मूल कार्ड के संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
बांदीकूई (दौसा)